न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2020 राजस्व वाद

1. रामपाल पुत्र रामबक्ष जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मोहन पुत्र रामबक्ष जी बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्यारी पत्नी स्व0 रामबक्ष जी बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 शंकर लाल जी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
3. उप पंजीयक, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री मांगीलाल सेन : वादी
2. श्री कन्हैयालाल सैन : वादी

निर्णय दिनांक– 7.7.2025

वादीगण की ओर से दिनांक 04.02.2020 को अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त रजिस्टर में क्रम संख्या 11/2020 पर पंजीबद्ध किया गया।

वादीगण अपना वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा0 दी0 व धारा 151 जा0दी0 के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सादर निवेदन किया है कि वादीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है:–

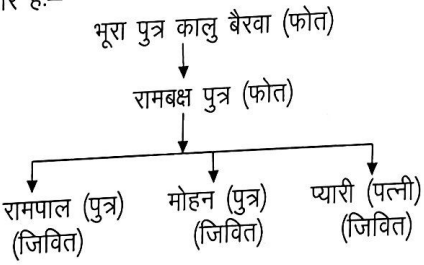

वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 5028/1, 5029 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4300 हैक्टयर भूमि स्थित है।

वादग्रस्त कृषि भूमि धापू पुत्री रामा चमार के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज रेकॉर्ड थी। मु० धापू पुत्री रामा बेवा हजारी चमार ने हाल आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 0.17 बिस्वा व आराजी नम्बर 5029 रकबा 0.17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 बीघा के साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2.00 बीघा भूमि थी जिसके भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के पश्चात् नये आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 0.17 बीघा व आराजी नम्बर 5029 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 2 दो कुल रकबा 1.14 बीघा कायम हुआ। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा भूमि को देवा आत्मज भज्जा चमार निवासी पुर ने अपनी अन्य भूमि के साथ ही साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा भूमि को भी विक्रेता खातेदार धापू बेवा हजारी पुत्री रामा जी चमार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

करवा दिनांक 11/02/1974 को क्रय कर पंजीयन कराया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता देवा आत्मज भज्जा चमार ने उक्त साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा भूमि का विक्रय पत्र भूरा आत्मज कालु जी के नाम पर निष्पादन कर दिनांक 01/06/1974 को पंजीयन कराया व मौके पर भूरा आत्मज कालु जी को कब्जा सुपुर्द किया तभी से उक्त भूमि पर भूरा आत्मज कालु जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था। भूरा जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामबक्ष का कब्जा चला आ रहा है। रामबक्ष आत्मज भूरा जी की मृत्यु दिनांक 16/09/2008 को हो चूकी है, जिनके विधिक वारीस पुत्र रामपाल, मोहन व पत्नी प्यारी है इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी करवाने के वादीगण अधिकारी है।

वादीगण उक्त रजिस्टर्स विक्रय–पत्र दिनांक 01/06/1974 के आधार पर मौके पर काबिज है जिसे 45 वर्ष हो चूके है, किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पूर्वजों ने राजस्व रेकॉर्ड में अमल नहीं करवा पाये क्योंकि उक्त विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दे दी थी किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी हल्का ने कोई अमल नहीं किया जिससे राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी धापू पुत्री रामा के नाम पर ही रही जिसका नाजायज फायदा प्रतिवादी संख्या 01 तथा दलाल व भू–माफिया लोग उठाना चाहते है, जिससे उक्त भूमि के प्रतिवादी संख्या 01 ने फर्जी स्टाम्प व दस्तावेज के आधार पर भूखण्ड काटकर विक्रय कर मौके पर अवैध निर्माण करवाने पर तत्पर है। धापू पुत्री रामा पत्नी हजारी ला० औलाद फोत हो गई है। जिसका भी दलाल लोग फायदा उठाना चाहते है। उसके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि हड़प करना चाहते है, जिन्हें कोई हक व अधिकार नही है, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में भूमि धापू पुत्री रामा का नाम अंकित होने से भू–माफिया व दलाल प्रतिवादी संख्या 01 से उक्त भूमि को आगे रहन–बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरण करवा मौके पर भूखण्ड़ काटकर विक्रय कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिसके लिए हाल ही में भू–माफियों व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10/01/2020 को वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। वादीगण ने रामबक्ष आत्मज भूरा जी चमार की मृत्यु दिनांक 16/09/2008 को होने के पश्चात् वादीगण ने उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल किया जाने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ कई बार आवेदन प्रस्तुत किये किन्तु कुछ भी कार्यवाही नही हुई। हाल ही में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि से मौके से बेदखल करने व निर्माण करने की धमकी दी गई।

प्रस्तुत वाद पत्र में मु० धापू बेवा हजारी पुत्री रामा जी बैरवा (चमार) ने अपनी अन्य खातेदारी की भूमि के साथ ही साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2.00 बीघा का विक्रय दिनांक 11/02/1974 को देवा आत्मज भज्जा चमार को किया। इसी आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा का देवा आत्मज भज्जा ने दिनांक 01/06/1974 को रू0 500/– रूपये के विक्रय प्रतिफल मूल्य पर विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 01/06/1974 को करवा दिया। तभी से उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज काबिज थे। वर्तमान में वादीगण काबिज है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 दलाल व भू–माफिया है जो उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर फर्जी स्टाम्प के जरिए भूखण्ड काटकर विक्रय कर मौके पर अवैध निर्माण करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है, क्योंकि उक्त भूमि अनुसूचित जाति की है जो कि सामान्य जाति के व्यक्तियों के नाम पर अन्तरित हो ही नही सकती है। इसके अतिरिक्त जब उक्त विवादित भूमि का हक व स्वत्व वादीगण में निहित हो चूका तो दुबारा अन्य के पक्ष में अन्तरित नहीं हो सकता है इसलिए उक्त भूमि में वादीगण को ही मालिकाना हक व अधिकार प्राप्त है। चूँकि वादीगण के पूर्वजों द्वारा विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल नहीं करवा पाये जिससे वादीगण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जानकारी होने पर तहसील से विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियां निकाल कर प्रस्तुत की किन्तु तहसीलदार साहब द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत हाल ही में जून 2019 में दी गई, किन्तु हाल ही में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण को उक्त भूमि में भूखण्ड काटकर विक्रय करने की धमकी दिनांक 30/12/2019 को दी गई। अतः वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

7/7/2021

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत वाद घौषणात्मक वाद है जिसमें राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा एंव उप–पंजीयक भीलवाड़ा को भी आवश्यक पक्षकार बनाया जा रहा है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है, किन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने से इनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 (2) जा०दी० का आवेदन वाद एव प्रार्थना पत्र को विचाराणार्थ ग्रहण किया जाने हेतु आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक जुन 2019 व दिनांक 30/12/2019 से उत्पन्न होकर जारी है।

विवादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम पुर प०ह० पुर भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो कि न्यायालय के क्षेत्र में स्थित है। अतः इस वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने से वाद पत्र श्रीमान् के यहाँ पेश है ।

प्रस्तुत वाद अंन्तर्गत धारा 88–89, 92 (क) व 188 रा०टि०एक्ट बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने से वाद पत्र श्रीमान् के यहाँ प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य कि घौषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसके कृषि आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 0. 17 बीघा (0.2150 हैक्टयर) आराजी नम्बर 5029 रकबा 0.17 बीघा (0.2150 हैक्टयर) कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 बीघा (0.4300 हैक्टयर) भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में धापू बेवा रामा चमार का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी फरमाई जावें ।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 0.17 बीघा (0.2150 हैक्टयर) आराजी नम्बर 5029 रकबा 0.17 बीघा (0.2150 हैक्टयर) कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 बीघा (0.4300 हैक्टयर) भूमि में उपयोग–उपभोग व काश्त में प्रतिवादीगण बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करें मौके से बेदखल नहीं करे, निर्माण नही करें, रेकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावें ।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती ललिता शर्मा का वकालतनामा दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को जवाब के कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी वर्ष 2020 में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

प्रकरण में I वादीगण रामपाल, मोहन का दिनांक 24.12.2024 को साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया तथा मुख्य परीक्षा कराई गई। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता को नियमानुसार 3 बार आवाजे लगाई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आने से दिनांक 24.12.2024 को साक्ष्यवादी से जिरह प्रतिवादी बंद की गई। वादी द्वारा वादी साक्ष्य में नारायण पिता कालू का शपथ पत्र दिनांक 02.01.2025 को पेश किया गया।

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये:–

1. ग्राम पुर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 806 आराजी नम्बर 5028/1 व 5029
2. खसरा मिलान क्षेत्रफल हाल आराजी नम्बर 5028/1, 5029 साबिक आराजी नम्बर 1821
3. पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1974 देवा वल्द भज्जा द्वारा भूरा वल्द कालू के पक्ष में निष्पादित
4. पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.02.974 धापू बेवा हजारी द्वारा देवा वल्द भज्जा के पक्ष में निष्पादित

दिनांक 28.01.2025 को प्रकरण में साक्ष्यवादी बंद की जाकर अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

7/7/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादी के पूर्वज भूरा पुत्र कालू द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.06.1974 से वादग्रस्त भूमि देवा पुत्र भज्जा चमार को साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा क्रय की गई थी। साबिक आराजी नम्बर 1821 धापू बेवा हजारी चमार पुत्री रामा जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसके द्वारा दिनांक 11.02.1974 को पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त भूमि देवा पुत्र भज्जा चमार को विक्रय की गई थी। इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02.1974 को साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा भूमि देवा पुत्र भज्जा चमार के द्वारा विक्रय की गई और देवा पुत्र भज्जा चमार द्वारा दिनांक 01.06.1974 को उक्त भूमि भूरा पुत्र कालु चमार को विक्रय कर दी गई। वादीगण भूरा पुत्र कालु के विधिक वारिसान है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 17 बिस्वा व 5029 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 5028/1 व 5029 धापु पुत्री रामा बेवा हजारी चमार के नाम दर्ज है जो पंजीकृत विक्रय पत्र से वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र कालू द्वारा क्रय कर लिये जाने से वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व से ही अनुसूचित जाति के खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर सामान्य जाति के व्यक्ति को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार अंतरित नहीं हो सकते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने, कब्जा नहीं करने तथा निर्माण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे।

वादी अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी संख्या 5028/1 व 5029 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में धापु पुत्री रामा बेवा हजारी चमार के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 5028/1 व 5029 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1821 रकबा 2 बीघा से निर्मित हुए है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार धापू पुत्री रामा बेवा हजारी चमार द्वारा वादग्रस्त भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.02.1974 को देवा पुत्र भज्जा चमार को विक्रय किया गया एवं देवा पुत्र भज्जा चमार द्वारा भैरू पुत्र कालु चमार को दिनांक 01.06.1974 को पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से वर्तमान खातेदार धापु पुत्री रामा बेवा हजारी चमार द्वारा अपने हक एवं अधिकारों का अंतरण देवा पुत्र भज्जा चमार को दिनांक 11.02.1974 को किया जा चुका है एवं देवा पुत्र भज्जा चमार द्वारा दिनांक 01.06.1974 को अपने हक एवं अधिकारों का अन्तरण वादीगण के पूर्वज भैरू पुत्र कालु चमार को किया जा चुका है।

इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार धापू पुत्री रामा बेवा हजारी चमार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) में अपने खातेदारी अधिकार देवा पुत्र भज्जा चमार के पक्ष में निर्वापित कर दिये गये है तथा क्रेता देवा पुत्र भज्जा चमार द्वारा खातेदारी अधिकार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से भैरू पुत्र कालू चमार के पक्ष में अन्तरित कर दिये जाने से भैरू पुत्र कालू चमार एवं उसके विधिक वारिसानों के पंजीकृत विक्रय पत्र से खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये गये है। अतः वादीगण को वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी नम्बर 5028/1 व 5029 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हित/अधिकार निहित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि में बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण कब्जा नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

7/7/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

—: आदेश :—

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है और वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की हाल आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 17 बिस्वा व 5029 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि धापु पुत्री रामा बेवा हजारी चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, का नाम विलोपित किया जाकर रामपाल पुत्र रामबक्ष, मोहन पुत्र रामबक्ष व प्यारी पत्नी रामबक्ष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने तथा निर्माण नहीं करने एवं वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। उभयपक्षकारान् वाद का खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

करण संख्या 11/2020 राजस्व वाद

1. रामपाल पुत्र रामबक्ष जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मोहन पुत्र रामबक्ष जी बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्यारी पत्नी स्व0 रामबक्ष जी बैरवा आयु वयस्क निवासी पुर बैरवा मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 शंकर लाल जी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
3. उप पंजीयक, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

करण संख्या 11/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन एवं कन्हैयालाल सेन उपस्थित – इस वाद में आज रीख 07.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी ाती है–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी धिनियम को बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है और वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर ी हाल आराजी नम्बर 5028/1 रकबा 17 बिस्वा व 5029 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा बीघा 14 बिस्वा भूमि धापु पुत्री रामा बेवा हजारी चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, का रामपाल त्र रामबक्ष, मोहन पुत्र रामबक्ष व प्यारी पत्नी रामबक्ष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने तथा निर्माण नहीं करने एवं वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा